न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 06 / 2024 FSSA

1. सरकार जरिये श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री मोहर सिंह सैनी पुत्र श्री बुद्धु राम सैनी
   मैनेजर मैसर्सः—विजय ज्यूस कॉर्नर, मैन मार्केट, महवा तहसील महवा जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 18.09.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रकाश चन्द सैनी ने दिनांक 23.06.2023 को दोपहर बाद 04:30 बजे मैसर्सः— विजय ज्यूस कॉर्नर, मैन मार्केट महवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर श्री मोहर सिंह सैनी पुत्र श्री बुद्धु राम सैनी उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का मैनेजर होना बताया। जिसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता के संस्थान पर डी फ्रीज में 30 पैकिट 4.5 लीटर पैकिंग में पैक आईसक्रीम साही गुलाब फ्लेवर **(Ice Cream Sahai Gulab Flavour)** आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। इसमे मिलावट का शक होने पर इसमें से चार मूल बल्क पैक में से 1200 ग्राम आईसक्रीम साही गुलाब फ्लेवर **(Ice Cream Sahai Gulab Flavour)** नमूने की जांच हेतु खरीदी। जिसकी कीमत 460 रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा आईसक्रीम साही गुलाब फ्लेवर **(Ice Cream Sahai Gulab Flavour)** को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलों में डालकर प्रत्येक बोतल में 24—24 बूंदे फार्मलीन की डालकर बोतलो को अलग—अलग ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर AG-3727 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. मैनेजर को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढ़कर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:39 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 21.08.2023 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 21.08.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 21.08.2023 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाये।

उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम साही गुलाब फ्लेवर **(Ice Cream Sahai Gulab Flavour)** का नमूना खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1492/एक्ट/2023/1514 दिनांक 01.09.2023 के अनुसार अमानक**(Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट में नमूना अमानक**(Substandard)** स्तर का पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णयन आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं नियत तारीख पेशी पर उपस्थित आया एवं मौखिक रूप से बहस किये जाने का निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1492/एक्ट/2023/1514 दिनांक 01.09.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम साही गुलाब फ्लेवर **(Ice Cream Sahai Gulab Flavour)** के नमूने में आयोडीन वैल्यू 55.39 प्रतिशत पाई गई है जो कि तय मानक (25.0–38.0) से बहुत अधिक है। **Fat content % by weight 6.21%** पाया गया है जो कि तय मानक 10.00 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। **Total Solids/Dry matter(By weight) 33.14** प्रतिशत ही पाया गया है जो कि तय मानक 36.0 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट में आयोडीन वैल्यू तय मानको से काफी अधिक एवं **Fat content % by weight** तथा **Total Solids/Dry matter(By weight)** निर्धारित किये गये तय मानको से काफी कम पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना जांच रिपोर्ट में अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ आईसक्रीम साही गुलाब फ्लेवर **(Ice Cream Sahai Gulab Flavour)** का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि हमारी फर्म से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम साही गुलाब फ्लेवर **(Ice Cream Sahai Gulab Flavour)** का सैम्पल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु लिया गया था, जो कि जांच रिपोर्ट में अमानक स्तर का पाया गया है। हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। हमारे द्वारा यह खाद्य पदार्थ [illegible] ही खरीदकर ही विक्रय किया जाता है। हम इस खाद्य पदार्थ के निर्माता नहीं सिर्फ विक्रेता है। प्रकरण [illegible] कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का श्रम करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:39 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1492/एक्ट/2023/1514 दिनांक 01.09.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम साही गुलाब फ्लेवर **(Ice Cream Sahai Gulab Flavour)** का नमूना जांच रिपोर्ट में अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ आईसक्रीम साही गुलाब फ्लेवर **(Ice Cream Sahai Gulab Flavour)** का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 **(II)** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ आईसक्रीम साही गुलाब फ्लेवर **(Ice Cream Sahai Gulab Flavour)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री मोहर सिंह सैनी पुत्र श्री बुद्धु राम सैनी मैनेजर मैसर्सः–विजय ज्यूस कॉर्नर, मैन मार्केट, महवा तहसील महवा जिला दौसा पर 5,00,000/– (अक्षरे पांच लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 18.09.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ दिनांकः– 18.09.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री मोहर सिंह सैनी पुत्र श्री बुद्धु राम सैनी
   मैनेजर मैसर्सः–विजय ज्यूस कॉर्नर, मैन मार्केट, महवा तहसील महवा जिला दौसा।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:39 IST
Reason: SelfAttested